

प्रेस नोट जनपद बलिया

दिनांक 02.10.2026

थाना कोतवाली जनपद बलिया पुलिस द्वारा चोरी करने से सम्बन्धित 02 नफर अभियुक्त व 01 नफर अभियुक्ता को किया गया गिरफ्तार तथा कब्जे से चोरी किए गए सोने-चांदी के जेवर (कुल अनुमानित कीमत लगभग 9 लाख 70 हजार), कुल 21,500 रुपये नगद, 01 अदद एन्ड्रायड फोन व 01 अदद अपाची मोटर साइकिल बिना नम्बर प्लेट की किया गया बरामद।

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय बलिया श्री ओमवीर सिंह के कुशल निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान् अपर पुलिस अधीक्षक महोदय दक्षिणी श्री संजय वर्मा के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर सतीश कुमार शर्मा व प्रभारी निरीक्षक प्रवीण कुमार सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना कोतवाली पुलिस को मिली सफलता।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 08.08.2026 को थाना स्थानीय पर वादी द्वारा तहरीर देकर शिकायत किया गया कि वादी के मकान जलालपुर के घर में रखे अलमारी में रखे सोने, चांदी के गहने व नगदी 30,000 रुपये नहीं है। इस सम्बन्ध में मु0अ0सं0- 311/2026 धारा 305(a), 331, 317(2), 317(4), 317(5) बीएनएस पंजीकृत कर विवेचात्मक कार्यवाही प्रचलित थी।

इसी क्रम में दिनांक 01/02.10.2026 को थाना कोतवाली पुलिस टीम के उ0नि0 समरेन्द्र कुमार मिश्रा मय हमराह के देखभाल क्षेत्र चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/ वाहन व विवेचना मुकदमा उपरोक्त में मामूर थे कि मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त में सीसीटीवी व अन्य माध्यमों से प्रकाश में आए अभियुक्त राजा खान पुत्र राजू खान ग्राम आलम पट्टी थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर उम्र करीब 20 वर्ष को बलिया स्टेशन के पास से समय करीब 01.02 बजे गिरफ्तार कर कब्जे से 4 अदद स्वर्ण धातु व 01 अदद सफेद धातु के जेवर व कुल 19,500 हजार रुपए व 01 अपाची मो0साइकिल बरामद की गई।

पूछताछ विवरण- पूछताछ में अभियुक्त राजा खान द्वारा बताया गया कि साथी विष्णु कश्यप पुत्र शिव शंकर कश्यप निवासी मोहल्ला झुन्नीलाल चौराहा थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर के साथ मिलकर

दिनांक 08.08.2026 को 12 बजे रात्री को थाना कोतवाली जनपद बलिया के गांव जलालपुर में एक बन्द घर चोरी किए थे।

व दिनांक 21.09.2026 को महाबीर कालोनी परिखरा थाना बांसडीहरोड बलिया में एक महिला से चैन छिने थे।

तथा दिनांक 26.09.2026 को थाना फेफना क्षेत्र के भगवानपुर में घर का ताला तोड़कर कुछ जेवर व पैसे चोरी किए थे, तथा चोरी के जेवर सोनार विशाल अग्रहरि के पास बेचते हैं। पूछताछ में आए अभियुक्त विष्णु कश्यप उपरोक्त घर से अभियुक्त की माँ रेखा देवी से चोरी के सामान के बारे में पूछने पर बताया कि गहना मैं अपने पास रखी हूँ। जिसके पास से 01 जोड़ी पायल व 01 अंगूठी स्वर्ण धातु का व 01 चैन स्वर्ण की, 01 ज्यूतिया 01 नाक की कील स्वर्ण की बरामद हुआ जिसे समय करीब 06.40 बजे पुलिस हिरासत में लिया गया।

तथा सोनार विशाल अग्रहरि उर्फ सुनील पुत्र भरत अग्रहरि निवासी मोहल्ला रुई मण्डी थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर उम्र करीब 47 वर्ष के पास से विष्णु व राजा के द्वारा बेचे गये सोने के गहने मे से पीली धातु का 01 टुकड़ा व 2000 रुपये बरामद हुआ। व 01 अदद एंड्रायड मोबाइल बरामद कर समय करीब 06.54 बजे गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त राजा उपरोक्त के पास से मु0अ0सं0- 191/2026 थाना बांसडीहरोड बलिया से सम्बन्धित बेचे हुए चैन का 5,000 रुपये तथा मु0अ0सं0- 170/2026 थाना फेफना बलिया से चोरी के 5,000- / रू0 बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों व अभियुक्ता के विरुद्ध थाना स्थानीय पर विधिक कार्यवाही करते हुए मा0 न्यायालय भेजा गया।

सम्बन्धित अभियोग-

1. मुकदमा अपराध संख्या 311/2026 धारा 305(a), 331, 317(2), 317(4), 317(5). बीएनएस थाना कोतवाली बलिया।
2. मुकदमा अपराध संख्या 170/2026 धारा 305(a) बीएनएस थाना फेफना जनपद बलिया
3. मुकदमा अपराध संख्या 191/2026 धारा 304 बीएनएस बांसडीह रोड जनपद बलिया

अभियुक्तों का विवरण -

1. राजा खान पुत्र राजू खान ग्राम आलम पट्टी थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर उम्र करीब 20 वर्ष
2. रेखा देवी पत्नी शिवशंकर काश्यप उर्फ शंकरराम निवासी झुनुलाल चौराहा थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर व स्थायी निवासी देवकठिया थाना जंगीपुर जनपद गाजीपुर।

3. विशाल अग्रहरि उर्फ सुनील पुत्र भरत अग्रहरि निवासी मोहल्ला रुई मण्डी थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर उम्र करीब 47 वर्ष

वांछित अभियुक्त-

1. विष्णु कश्यप पुत्र शिवशंकर काश्यप उर्फ शंकरराम निवासी झुनुलाल चौराहा थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर व स्थायी निवासी देवकठिया थाना जंगीपुर जनपद गाजीपुर

बरामदगी-

03 अदद स्वर्ण की अंगुठी ,01 अदद स्वर्ण चैन ,01 अदद आयरन ,01 अदद सोने का टूटा मंगल सूत्र ,01 अदद स्वर्ण मांग टीका, 01 अदद स्वर्ण की नाक की कील, स्वर्ण धातु का टुकड़ा , 01 जोड़ी सफेद धातु पायल, 01 जोड़ी बिछिया ,01 अदद स्वर्ण बाली (कुल अनुमानित कीमत लगभग- 9 लाख 70 हजार), कुल 21,500 रुपये नगद , 01 अदद एन्ड्रायड फोन व 01 अदद अपाची मोटर साइकिल बिना नम्बर प्लेट

गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम-

1. उ0नि0 समरेन्द्र कुमार मिश्रा थाना कोतवाली, बलिया
2. उ0नि श्याम प्रकाश मिश्रा, थाना कोतवाली, बलिया
3. उ0नि0 विनोद कुमार सरोज, थाना कोतवाली, बलिया
4. का0 घनश्याम यादव थाना कोतवाली, बलिया
5. का0 आलोक कुमार शुक्ला थाना कोतवाली, बलिया
6. का0 जयसिंह थाना कोतवाली, बलिया
7. म0का0 रानी मिश्रा थाना कोतवाली, बलिया
8. म0का0 गरिमा सिंह थाना कोतवाली, बलिया

सोशल मीडिया सेल

बलिया पुलिस ।